बिहार सरकार
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0सं0– 4 / निदे0–PM-AJAY (Budget Head)–103–09 / 2026– 187

प्रेषक,

प्रियंका रानी, भा0प्र0से0
निदेशक।

सेवा में,

1. उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
   अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना।
2. सभी जिला अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक– 28-10-2026

विषयः– वित्तीय वर्ष 2026–27 में केन्द्र प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PMAJAY) के कार्यान्वयन के लिए सहायता अनुदान अन्तर्गत ₹23,06,40,000/– मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

राज्य सरकार के द्वारा विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–184 दिनांक 27.10.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 में केन्द्र प्रायोजित योजना– प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PMAJAY) के अन्तर्गत बजट उपबंध के आलोक में सहायता अनुदान अन्तर्गत ₹23,06,40,000/– मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृति के आलोक में ₹23,06,40,000/– (तेईस करोड़ छः लाख चालीस हजार रू0) मात्र की राशि SNA-SPARSH के लिए वित्त विभाग बिहार, पटना तथा व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के अनुरूप व्यय करने हेतु संलग्न सूची के अनुसार आवंटित की जाती है।

2– उक्त राशि मांग सं0–44 के योजना बजट मुख्य शीर्ष–"2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो और अल्पसंख्यकों का कल्याण–उपमुख्य शीर्ष–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–लघुशीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएससी)–उपशीर्ष–0201–अनुसूचित जाति के बहुमुखी विकास (प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना)–विषय शीर्ष–3106–सहायक अनुदान–गैर वेतन, विपत्र कोड सं0–**44–2225–01–789–0202**" पी0एफ0एम0एस0 कोड– 3967 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

3– वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक– 5295 दिनांक 09.05.2025 तथा व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–1(27)/PFMS/2020 दिनांक 13.07.2023 तथा समय–समय पर निर्गत SNA-SPARSH के दिशा–निर्देश के आलोक में राशि का व्यय किया जाएगा।

4– इस योजना के लिए विभागीय मुख्यालय स्तर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग होंगे तथा जिला स्तर पर संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी होगें। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/ कार्यान्वयन एजेंसी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राशि का व्यय करेंगे तथा व्यय की गई राशि का व्यय विवरणी प्रत्येक माह विभाग को भेजेंगे।

5– इस योजना के लिए विभागीय मुख्यालय स्तर कार्यान्वयन एजेंसी, निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे तथा जिला स्तर पर संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी होगें। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा CFMS 2.0 प्रणाली अन्तर्गत SNA-SPARSH के तहत दावा विपत्र निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी को उपस्थापित किया जायेगा।

6– कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा स्वीकृत योजना पर हीं राशि व्यय की जाएगी। किसी भी स्थिति में इस राशि का विचलन नहीं किया जाएगा। साथ हीं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि योजनाओं एवं लाभान्वितों का दोहरीकरण (duplication) न हो।

7– राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या–2561 दिनांक 17.04.1998 एवं केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय किया जयेगा।

8– व्ययन पदाधिकारी व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग को भेजेंगे एवं महालेखाकार से लेखा का सत्यापन कराकर प्रतिवेदन भेजेंगे।

9–इस स्वीकृति की सूचना सभी संबंधित पदाधिकारी को दी जा रही है।

विश्वासभाजन

निदेशक।

ज्ञापांक– 4/निदे0–PM-AJAY (Budget Head)–103–09/2026– 187 पटना, दिनांक– 28-10-2026

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना/बजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार/सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/प्रभारी पदाधिकारी, बजट शाखा, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी–8डी0/ सांख्यिकी शाखा/आई0 टी0 मैनेजर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक।

ज्ञापांक– 4/निदे0–PM-AJAY (Budget Head)–103–09/2026– 187 पटना, दिनांक– 28-10-2026

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक।

ज्ञापांक– 4/निदे0–PM-AJAY (Budget Head)–103–09/2026– 187 पटना, दिनांक– 28-10-2026

प्रतिलिपि : विशेष कार्य पदाधिकारी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक।

ज्ञापांक– 4/निदे0–PM-AJAY (Budget Head)–103–09/2026– 187 पटना, दिनांक– 28-10-2026

प्रतिलिपि–अवर सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक।

आदर्श ग्राम योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक व्यय हेतु आवंटित राशि की विवरणी

क्रम संख्या	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	मंत्रालय द्वारा चयनित ग्रामों की संख्या	विलोपित ग्रामों की संख्या	अंतिम रूप से चयनित ग्रामों की संख्या	राज्य हेतु कर्णांकित राशि	जिला हेतु कर्णांकित राशि	ग्राम हेतु कर्णांकित राशि	कुल योग (6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जि0 क0 पदा0, अररिया	42	2	40	0	8,00,000	16,00,000	24,00,000
2	जि0 क0 पदा0, अरवल	20	0	20	0	4,00,000	8,00,000	12,00,000
3	जि0 क0 पदा0, औरंगाबाद	238	22	216	0	43,20,000	86,40,000	1,29,60,000
4	जि0 क0 पदा0, बांका	58	5	53	0	10,60,000	21,20,000	31,80,000
5	जि0 क0 पदा0, बेगूसराय	37	4	33	0	6,60,000	13,20,000	19,80,000
6	जि0 क0 पदा0, भागलपुर	38	0	38	0	7,60,000	15,20,000	22,80,000
7	जि0 क0 पदा0, भोजपुर	48	0	48	0	9,60,000	19,20,000	28,80,000
8	जि0 क0 पदा0, बक्सर	50	4	46	0	9,20,000	18,40,000	27,60,000
9	जि0 क0 पदा0, दरभंगा	67	1	66	0	13,20,000	26,40,000	39,60,000
10	जि0 क0 पदा0, गया	735	17	718	0	1,43,60,000	2,87,20,000	4,30,80,000
11	जि0 क0 पदा0, गोपालगंज	38	1	37	0	7,40,000	14,80,000	22,20,000
12	जि0 क0 पदा0, जमुई	68	4	64	0	12,80,000	25,60,000	38,40,000
13	जि0 क0 पदा0, जहानाबाद	34	0	34	0	6,80,000	13,60,000	20,40,000
14	जि0 क0 पदा0, कैमूर	132	2	130	0	26,00,000	52,00,000	78,00,000
15	जि0 क0 पदा0, कटिहार	25	3	22	0	4,40,000	8,80,000	13,20,000
16	जि0 क0 पदा0, खगडिया	21	1	20	0	4,00,000	8,00,000	12,00,000
17	जि0 क0 पदा0, किशनगंज	10	0	10	0	2,00,000	4,00,000	6,00,000
18	जि0 क0 पदा0, लखीसराय	21	1	20	0	4,00,000	8,00,000	12,00,000
19	जि0 क0 पदा0, मधेपुरा	13	2	11	0	2,20,000	4,40,000	6,60,000
20	जि0 क0 पदा0, मधुबनी	39	0	39	0	7,80,000	15,60,000	23,40,000
21	जि0 क0 पदा0, मुंगेर	37	2	35	0	7,00,000	14,00,000	21,00,000
22	जि0 क0 पदा0, मुजफ्फरपुर	100	6	94	0	18,80,000	37,60,000	56,40,000
23	जि0 क0 पदा0, नालंदा	102	9	93	0	18,60,000	37,20,000	55,80,000
24	जि0 क0 पदा0, नवादा	176	6	170	0	34,00,000	68,00,000	1,02,00,000
25	जि0 क0 पदा0, पश्चिम चम्पारण	81	1	80	0	16,00,000	32,00,000	48,00,000
26	जि0 क0 पदा0, पटना	154	9	145	0	29,00,000	58,00,000	87,00,000
27	जि0 क0 पदा0, पूर्वी चम्पारण	47	7	40	0	8,00,000	16,00,000	24,00,000
28	जि0 क0 पदा0, पूर्णियाँ	34	1	33	0	6,60,000	13,20,000	19,80,000
29	जि0 क0 पदा0, रोहतास	161	8	153	0	30,60,000	61,20,000	91,80,000
30	जि0 क0 पदा0, सहरसा	30	0	30	0	6,00,000	12,00,000	18,00,000
31	जि0 क0 पदा0, समस्तीपुर	78	10	68	0	13,60,000	27,20,000	40,80,000
32	जि0 क0 पदा0, सारण	41	1	40	0	8,00,000	16,00,000	24,00,000
33	जि0 क0 पदा0, शिवहर	5	0	5	0	1,00,000	2,00,000	3,00,000
34	जि0 क0 पदा0, शेखपुरा	26	5	21	0	4,20,000	8,40,000	12,60,000
35	जि0 क0 पदा0, सीतामढी	19	0	19	0	3,80,000	7,60,000	11,40,000
36	जि0 क0 पदा0, सीवान	34	2	32	0	6,40,000	12,80,000	19,20,000
37	जि0 क0 पदा0, सुपौल	29	0	29	0	5,80,000	11,60,000	17,40,000
38	जि0 क0 पदा0, वैशाली	133	2	131	0	26,20,000	52,40,000	78,60,000
39	अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग	0	0	0	5,76,60,000	0	0	5,76,60,000
कुल राशि		**3021**	**138**	**2883**	**5,76,60,000**	**5,76,60,000**	**11,53,20,000**	**23,06,40,000**

आवंटनादेश संख्या– 187 दिनांक 28-10-2026 कुल आवंटित राशि– रू0 23,06,40,000/–

निदेशक